पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 247/2025

रामीदेवी पत्नी स्व० रिछपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

बनाम

वादीया

1. जगतपाल | पि0 स्व रिछपाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला
2. राधेश्याम | हनुमानगढ़।

2 विजयलक्ष्मी पुत्री स्व० रिछपाल पत्नी नवीन कुमार पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक 14/7/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रायसिंह भाखर व प्रतिवादी वकील रामस्वरुप भादू अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं0 6 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 141/127 में कुल 0.8860 है0 नहरी तथा चकनं0 7 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 125/112 में कुल 1.4920 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 6 सीडीआर के खाता सं0 141/127 व चक नं0 7 सीडीआर के खाता सं0 125/112 मे से रिछपाल पुत्र भादरराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with CamScanner